छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 67/2008</u>

श्री नीरज वर्मा,
अधिवक्ता,
निवासी–नमनाकला पावर हाऊस के
पास, अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थीगण

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी,
उप संभाग–अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 26 जून 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री नीरज वर्मा ने सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, उप संभाग–अंबिकापुर जिला–सरगुजा के समक्ष दिनांक 18–10–2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था। समय पर जानकारी नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी ने दिनांक 29–11–2007 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। किन्तु उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 11–01–2008 को प्रस्तुत की गई।

2/ उभय पक्ष की सुनवाई की गयी तथा प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने दिनांक 08–01–2007 को दी गई जानकारी को अपूर्ण मिलना बताया और अपीलार्थी ने यह भी शिकायत की कि उसने शुल्क की राशि जमा की थी, किन्तु उसे रसीद नहीं दी गई, जबकि जन सूचना अधिकारी ने राशि जमा करना ही नहीं बताया। अपीलार्थी ने यह भी बताया कि बिन्दु क्रमांक–4 की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। प्रकरण में सुनवाई उपरांत उप संचालक कृषि को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे फीस जमा होने या न होने के बारे में उभयपक्ष को बुलाकर और उनसे प्रमाण लेकर इस संबंध में जाँच करें और यदि आवेदक द्वारा शुल्क जमा होना सिद्ध पाया जाता है तो यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को चूँकि जानकारी देने में विलम्ब हुआ है, अतः उनसे जमा कराई गयी शुल्क उन्हें लौटायी जावे। बिन्दु क्रमांक–4 की जानकारी के बारे में मजदूरी भुगतान स्लीप अथवा भुगतान रजिस्टर का प्रावधान नहीं होने की जानकारी सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी ने दी है, किन्तु यह विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उप संचालक कृषि इस संबंध में कलेक्टर अथवा सचिव, छ.ग.शासन, कृषि विभाग से निर्देशों की प्रतियाँ प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें और यदि भुगतान आदि के बारे में

जिस प्रकार की भी जानकारी रखी जाती हो तो उसकी प्रतियाँ अपीलार्थी को 15 दिन के अन्दर निःशुल्क दिलायें, अन्यथा इस संबंध में आवेदक को शासन और कलेक्टर के निर्देशों की प्रतियाँ देते हुये इस बारे में उन्हें स्पष्ट उत्तर दिया जावे। प्रकरण में विलम्ब के कारण अपीलार्थी को जो आर्थिक/मानसिक क्षति हुई है, उसके लिये विभाग की ओर से अपीलार्थी को 300/–रुपये (तीन सौ रुपये मात्र) की राशि अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जावे। प्रकरण में शास्ति की कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नहीं होती है। किन्तु उप संचालक कृषि को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस संबंध में जिन कर्मचारियों की त्रुटि विलम्ब के लिये पायी जावे, उनके विरूद्ध धारा–20(2) के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने की अनुशंसा की जाती है।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त